NT>

Title: Need to amend the Forest Conservation Act.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विाय की ओर सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। भारत सरकार ने वन कानून बनाया है जिसका उद्देश्य था कि वनों की रक्षा की जाए। लेकिन वनों की रक्षा करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों ने शामिल होकर वनों की अनदेखी की। इसलिए वन खत्म हो गए। जो पिछली जमात के लोग जंगलों के ऊपर निर्भर करते थे, उनकी हालत भी खराब है। विकास के काम के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इसलिए छोटे वन, टेलीफोन लगाना, बिजली की सुविधा देना, आदिम जाति के विकास आदि के बारे में सरकार पैसा देती है। जल्दी भूमि न मिलने के कारण पैसा वापिस चला जाता है। इस देरी से कार्य की रकम दस गुना हो जाती है। इस बारे में 22 तारीख को लोगों द्वारा केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा लिया गया था। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि इस कानून में संशोधन करें।